न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 70/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/62)

1. यासीन खां पुत्र श्री शान मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी 3 के.पी.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज. (हाल जिला अनूपगढ)
2. कर्मा खातून पत्नी श्री सरदार अली जाति मुसलमान निवासी 5 एस.जे. एम. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राज. (हाल जिला अनूपगढ)
3. जुबैदा प्रवीन पुत्री सरदार अली जाति मुसलमान निवासी 5 एस.जे. एम. तहसील रावला जिला श्रीगंगानगर राज. (हाल जिला अनूपगढ)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. बलवन्त राम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी 3 के.पी.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज. (हाल जिला अनूपगढ)
2. कालूराम पुत्र श्री लेखराम जाति जाट निवासी 3 के.पी.डी. तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज. (हाल जिला अनूपगढ)
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावला जिला अनूपगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री हरीश मदान – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री बहादुर राम सुथार – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2
3.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 16.07.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी घड़साना प्रकरण सं. 02/2009 के निर्णय दिनांक 26.06.2014 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि बलवन्तराम व कालूराम पिसरान लेखराम ने ग्राम पंचायत 4 के.पी.डी. के आदेश दिनांक 28.02.2006 इन्तकाल सं. 101 के विरूद्व उपखण्ड अधिकारी घड़साना मे अपील पेश कर उक्त इन्तकाल को निरस्त फरमाने का निवेदन किया, जिस पर उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.06.2014 द्वारा अपील स्वीकार कर इन्तकाल सं. 101 को निरस्त कर प्रकरण अपीलान्ट को सुनते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु तहसीलदार घड़साना को रिमाण्ड कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट यासीन खां वगैरह द्वारा यह अपील राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर कैम्प रायसिहनगर में प्रस्तुत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 26.06.2014 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा गया । राजस्व अपील अधिकारी श्री गंगानगर कैम्प रायसिहनगर द्वारा अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही होने पर इस न्यायालय को लौटाने पर इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट के पिता/पति के द्वारा जरिये बैयनामा प्रतिफल अदा कर विवादित भूमि क्रय की थी, उक्त भूमि कस्टोडियन थी जिसकी दो सेलडीड हुई थी, जसका बैयनामा रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा दिनांक 04.06.1975 को करवाया गया था। जिसके आधार पर क्रेतागण के पक्ष में रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर इन्तकाल सं. 101 दिनांक 28.02.2006 दर्ज किया गया था। ग्राम पंचायत के द्वारा रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अपना कर दर्ज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 26.06.2014 मे यह कथन किया कि ग्राम पंचायत के द्वारा इन्तकाल सं. 101 बिना सुने दर्ज किया गया है मानने योग्य नही है। जहा तक प्रश्न है इन्तकाल बैयनामा के 31 वर्ष बाद दर्ज किया गया है मात्र इस कारण से इन्तकाल अवैधानिक नही हो जाता। रजिस्टर्ड दस्तावेज को किसी भी न्यायालय द्वारा अवैध घोषित नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश एक पक्षीय आदेश है जिसमें अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर नही दिया गया ओर ना ही विधिवत् तामील हुई, ओर ना ही अपीलान्ट्स को अपील की जानकारी थी। अधीनस्थ न्यायालय मे इन्तकाल दिनांक 28.02.2006 को चेलेन्ज किया गया है वो मियाद अवधि से बाहर अपील प्रस्तुत की गई। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट उक्त विवादित भूमि के सन्दर्भ मे एक वाद पत्र कालूराम बनाम शान मोहम्मद प्रस्तुत किया गया, इस कारण से बैयनामा दिनांक 10.10.1975 व इन्तकाल दिनांक 28.02.2006 की प्रारम्भ से जानकारी थी। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश दिनांक 26.06.2014 की जानकरी नही थी। अपील प्रस्तुत करने हुई देरी हेतु अलग से मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है अतः अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.06.2014 को अपास्त किया जावे, अपील स्वीकार की जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में 2007 (4) CIVIL COURT CASES 226 (S.C.) का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि एक ही सेलडीड हुई है, दो सेलडीड नही हुई है, प्रकरण में दो इन्तकाल अलग अलग दर्ज हुवे है। सेलडीड मे बटवारा नही हुआ है। बिना सुने बटवारे का दो इन्तकाल चढा दिया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट की तामील होने के बाद इनके वकील हाजिर आये, कार्यवाही चल रही थी। इनको प्रकरण की सब जानकारी थी, अपीलान्ट का बिना सुने अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पारित करने का कथन करना गलत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्ण विवेचना करते हुए प्रकरण को तहसीलदार घड़साना को रिमाण्ड किया है जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया है कि इंतकाल संख्या 101 दिनांक 28.02.2006 को ग्राम पंचायत 4 के.पी.डी. के द्वारा स्वीकृत किया गया। दस्तावेजात के अवलोकन से यह पाया है कि उक्त नामान्तरकरण वर्ष 1975 मे हुए बैयनामे के आधार पर भरा गया है, यह बैयनामा बलवंतराम व कालूराम के नाबालिग होने की दंशा में उनके पिता लेखराम द्वारा बतौर कुदरती वली निष्पादित किया जाना प्रतिवेदित हुआ है। बैयनामा निष्पादित होने के 31 साल बाद ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया, जो कि अत्यधिक देरी के पश्चात भरा गया, साथ ही नामान्तरकरण दायर करते वक्त हितबद्ध पक्षकारान की विधिवत सुनवाई का भी अभाव पाया गया है। साथ ही उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 26.06.2014 को पारित किया गया जबकि अपील दिनांक 19.03.2019 को राजस्व अपील

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधिकारी श्रीगंगानगर कैम्प रायसिंहनगर को दायर की गई। राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपील लौटाने पर न्यायालय हाजा में पेश की गई। उक्त विलंब का कारण पटवारी हल्का से दिनांक 25.02.2019 को जानकारी होना बताया जो विलंब (डिले) के लिए ठोस, विश्वसनीय व SUFFICIENT CAUSE की श्रेणी मे नही आता है, हस्तगत अपीलीय प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित किए जाने हेतु तहसीलदार (राजस्व) घड़साना को प्रकरण रिमाण्ड किया है। उक्त परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2014 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन व विश्लेषण के मध्यनजर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.06.2014 को यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर